न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 170/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 7.12.2016
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1.कालूलाल उर्फ कालिया आत्मज छोटूलाल जाति मीणा निवासी खरवण तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

...अपीलार्थी

बनाम

1.दी स्टेट ऑफ राजस्थान।

..रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 30.4.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ईटावा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 2/2016 प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान कालूलाल उर्फ काल्या बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा मे पारित निर्णय दिनांक 7.9.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी ने गत खसरा नम्बर 167 रकबा 11 बीघा जिसके बाद बन्दोबस्त पैमूद किए गये नवीन खसरा नम्बर 181 रकबा 1.54 है0 को गैरखातेदारी मे दर्ज किये जाने तथा गत रकबे अनुसार 1.86 है0 भूमि होती है अतः कमी रकबा 0.32 है0 की पूर्ति कर कुल रकबा 1.86 है0 भूमि गैरखातेदारी मे दर्ज किये जाने हेतु आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान करने बावत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का उपखण्ड अधिकारी इटावा के न्यायालय मे पेश किया गया। उपखण्ड अधिकारी इटवा ने प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर भूमि ख0 नम्बर 181 रकबा 1.54 है0 को प्रार्थी की गैरखातेदारी मे दर्ज किये जाने का दिनांक 7.9.2016 को निर्णय पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने ख0 नं0 181 की 1.54 है0 भूमि तो अपीलांट के खाते दर्ज करदी किन्तु शेष 0.32 है0 भूमि के बावत कोई आदेश नही दिया जबकि इस 0.32 है0 भूमि भी अपीलार्थी के कब्जे काश्त मे चली आ रही है अतः 0.32 है0 भूमि अपीलांट के खाते दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रदान करना चाहिये था। अर्थात सम्पूर्ण रकबे की दुरूस्ती का आदेश प्रदान करना था। अतः अपील स्वीकारकी जाकर अपीलांट के खाते मे से कम की गई 0.32 है0 भूमि भी अपीलांट के खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अपीलांट की गैर खातेदारी मे पूर्व ख0 नं0 167 की रकबा 11.17 है0 भूमि दर्ज थी जिसके 1.86 है0 होते है। भूप्रबन्ध विभाग ने नये ख0 नं0 181 कायम कर रकबा 1.54 है0 सिवायचक दर्ज कर दिया जिसे निर्णय दिनांक 7.9.2016 से अधीनस्थ

न्यायालय ने दुरूस्त कर अपीलार्थी के खाते 1.54 है0 दर्ज करने का आदेश तो दे दिया किन्तु 0.32 कमी रकबे का आदेश नही दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व रकबे के मुकाबले सम्पूर्ण रकबे दुरूस्ती का आदेश प्रदान कर रकबा 1.86 है0 दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करना था। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार कर रकबा 1.86 है0 दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सं0 2036 से 2039 ख0 नं0 167 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलार्थी की गैरखातेदारी मे दर्ज है। आंशिक नकल मिला क्षेत्रफल 2041 से 2060 के आधार पर ख0 नं0 167 का नवीन ख0 नं0 181 रकबा 1.54 है0 कायम किया गया तथा जमाबंदी सं0 2072 से 2075 के अवलोकन से ख0 नं0 181 रकबा 1.54 है0 भूमि सिवायचक दर्ज की गई जिसकी दुरूस्ती हेतु अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 7.9.2016 से भूमि ख0 नं0 181 रकबा 1.54 है0 को प्रार्थी/अपीलार्थी की गैरखातेदारी मे दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि गत खसरा नम्बर 167 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा के रकबा बरारी करने पर 1.86 है0 होते है। अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान खसरा नम्बर 1.54 है0 को तो प्रार्थी/अपीलार्थी की गैरखातेदारी मे दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करदी किन्तु शेष रकबा 0.32 है0 के संबध मे कोई आदेश पारित नही किया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को शेष रकबा 0.32 है0 सहित गत रकबे के मुकाबले सम्पूर्ण रकबे की दुरूस्ती का आदेश पारित करना चाहिये था। अपीलांट उक्त तर्क पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल आदि के अवलोकन से अपीलांट का गत रकबे के मुकाबले प्रथम दृष्टया रकबा कम होना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे राजस्व रिकार्ड नई–पुरानी जमाबंदी तथा मिलान क्षेत्रफल आदि का समुचित परीक्षण नही किया ना ही प्रकरण मे रकबा बरारी की जबकि राजस्व रिकार्ड का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये सम्पूर्ण रकबे की दुरूस्ती बावत विधिसम्मत आदेश पारित करना था। अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 7.9.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर संबधित तहसीलदार से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर रिपोर्ट एंव राजस्व रिकार्ड, सेटलमेंट से पूर्व व बाद की जमाबंदी तथा मिलान क्षेत्रफल इत्यादि का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये पुनः विधिसम्मत व तथ्यात्मक आदेश पारित करें।

6 निर्णय आज दिनांक 30.4..2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा